

पंचमसाली लगायतों की कोटा मांग

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक के प्रमुख लगायत समुदाय के भीतर एक उप-जाति पंचमसाली लगायत, अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) की श्रेणी 2A में शामिल होने की मांग कर रहे हैं।

- इस कदम का उद्देश्य कर्नाटक के OBC कोटा मैट्रिक्स की श्रेणी 3B के तहत मौजूदा 5% कोटा के विपरीत, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेश में 15% कोटा सुरक्षा करना है।

पंचमसाली लगायतों की कोटा मांग क्या है?

- पंचमसाली लगायत: लगायत, जिन्हें आधिकारिक तौर पर हद्वि उपजाति 'वीरशैव लगायत' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 12वीं शताब्दी के दार्शनिक-संत बसवन्ना के अनुयायी हैं।
 - बसवन्ना ने एक कट्टरपंथी जाति-विरुद्धी आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें रूढ़िवादी हद्वि प्रथाओं को अस्वीकार करते हुए भगवान, विशेष रूप से भगवान शिव के साथ एक व्यक्तिगत, भावनात्मक संबंध की अवधारणा दी।
 - लगायत समुदाय में विभिन्न उपजातियाँ शामिल हैं, जिनमें कृषि प्रधान पंचमसाली सबसे बड़ी हैं, जो लगायत आबादी का लगभग 70% और कर्नाटक की कुल आबादी का लगभग 14% हिस्सा बनाती हैं।
- कर्नाटक में मौजूदा ओबीसी कोटा श्रेणियाँ:
 - श्रेणी 2A में शामिल करने की मांग वर्ष 2020 में प्रमुखता से उभरी।
 - कर्नाटक में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 32% ओबीसी आरक्षण पाँच श्रेणियों में विभाजित है।
 - श्रेणी 2A में 102 जातियाँ शामिल हैं, जिनमें पंचमसाली भी शामिल होना चाहते हैं।
 - जटिल वर्गीकरण का उद्देश्य प्रमुख ओबीसी समूहों को कोटा लाभों पर एकाधिकार करने से रोकना है, ताकि सापेक्ष हाशिये पर स्थिति समान वितरण सुनिश्चित हो सके।

Table 1: Karnataka's current quota matrix

| CATEGORY | | QUOTA |
|------------------------------------|------------------------|-----------|
| Other Backward Classes (OBC) | | 32 |
| Category 1 | Backward Castes | 4 |
| Category 2A | Other Backward Classes | 15 |
| Category 2B | Muslims | 4 |
| Category 3A | Vokkaliga, etc. | 4 |
| Category 3B | Lingayat, etc. | 5 |
| Scheduled Castes (SC) | | 15 |
| Scheduled Tribes (ST) | | 3 |
| Economically Weaker Sections (EWS) | | 10 |
| TOTAL RESERVATIONS | | 60 |

//

■ सरकार द्वारा पूर्व में उठाए गए कदम:

- पछिली राज्य सरकार ने श्रेणी 2B के तहत 4% मुस्लिम कोटा वोककालगि और लगीयत को पुनः आवंटित करके पंचमसाली को खुश करने का प्रयास किया, जिससे नई श्रेणियाँ 2C तथा 2D बनाई गईं।
- इससे लगीयत कोटा 5% से बढ़कर 7% और वोककालगि कोटा 4% से बढ़कर 6% हो गया।
 - हालाँकि पंचमसाली ने श्रेणी 2A में शामिल किये जाने पर ज़ोर दिया और पुनः आवंटन को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

■ वर्तमान स्थिति और सरकार का रुख:

- सरकार सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। कर्नाटक सामाजिक, आर्थिक और जाति-सर्वेक्षण के नष्टिकर्ष, जिनसे भविष्य की कोटा योजनाओं पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, भी लंबित है।
- राज्य सरकार संतुलन बनाने के लिये सभी लगीयतों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने पर विचार कर सकती है।
 - वर्तमान में, केवल 16 लगीयत उप-जातियों को, जिनमें "बहुत पछिड़ा" माना जाता है, केंद्रीय सरकार की नौकरियों और कॉलेज प्रशासन के लिये ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण

EWS आरक्षण

- एस.आर. सिन्हो आयोग (2010) की सिफारिशों पर आधारित
- इसे 103वें संविधान संशोधन (2019) के तहत प्रस्तुत किया गया जिसने संविधान में अनुच्छेद 15(6) तथा 16 (6) को जोड़ा
- नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिये 10% आरक्षण का प्रावधान करता है
- केंद्र और राज्य दोनों EWS को आरक्षण प्रदान कर सकते हैं

भारत में जाति आधारित आरक्षण

- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - सरकारी शिक्षण संस्थान: अनुच्छेद 15-(4), (5), और (6)
 - सरकारी नौकरियाँ: अनुच्छेद 16-(4) और (6)
 - विधानमंडल (राज्य/संघ): अनुच्छेद 334
- **OBC आरक्षण:** मंडल आयोग की रिपोर्ट (1991) में प्रस्तुत किया गया
- **क्रीमी लेयर** की अवधारणा केवल OBC आरक्षण (न कि SC/SC) में मौजूद है
- **जाति आधारित आरक्षण की सीमा का निर्धारण:** 50% (इंदिरा साहनी वाद 1992 में)
- **आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का पहला बड़ा फैसला:** चंपकम दौरेराजन वाद, 1951

01

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EWS)

- अनारक्षित श्रेणी के लोग जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है
- संपत्ति का स्वामित्व: कृषि भूमि 5 एकड़ से कम; आवासीय भूमि 200 वर्गमीटर से कम

02

03

EWS पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख

- सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है
- बहुमत का दृष्टिकोण: EWS कोटा/आरक्षण संविधान के मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता है
- अल्पसंख्यक दृष्टिकोण: यह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच निर्धनतम लोगों को बाहर करता है

04

और पढ़ें... [वोककालगिा, लगीायत आरकषण में हसिसेदारी](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत के 'चांगपा' समुदाय के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2014)

1. वे मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में रहते हैं।
2. वे चांगथागी (पशमीना) बकरयियों को पालते हैं, जो अच्छी ऊन प्रदान करती हैं।
3. उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. राष्ट्रीय पछिडा वर्ग आयोग के सांघिकि नकिय से संवैधानकि नकिय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की वविचना कीजिये। (2022)

प्रश्न. क्या कमजोर और पछिडे समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहष्कृत कर देती हैं? (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/panchamasali-lingayats-quota-demand>

